

कार्यालय:-जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-I

क्रमांक:-स्टोर/2026-27/ 3168

दिनांक:- 11/8/26

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

इस न्यायक्षेत्र के जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कुल 204 प्रिन्टर कय हेतु निर्माता, पंजीकृत/अधिकृत विक्रेता, डीलर्स से ई-निविदा (E-Tender) के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती हैं-

कार्य का विवरण	प्रिन्टर की संख्या	प्रति प्रिन्टर बजट राशि	कुल स्वीकृत बजट राशि(रु)	बिड प्रतिभूति(रु)	बिड प्रपत्र शुल्क (रु)	प्रोसेसिंग शुल्क (रु)
Single Function Printer (As per Specification) Annexure-A	204	12000/-	24.48 लाख	48960/-	500/-	500/-
ई-बिड प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि व समय		01.08.2026 12.08.2026		05.00 PM से 11.00 AM तक		
ई-बिड जमा/अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय		12.08.2026		01.00 PM तक		
बोली प्रपत्र शुल्क, बिड प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के मूल डी.डी./बैंकर्स चैक तथा तकनीकी बिड प्रपत्र मय संलग्न दस्तावेजों की सुस्पष्ट प्रति कार्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि व समय		12.08.2026		03.00 PM तक		
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय		12.08.2026		04.30 PM बजे		
वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय कार्यालय आदेशानुसार पृथक से सूचित किया जायेगा।						

बिड प्रपत्र वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर विभागीय वेबसाइट <https://jaipurmetro1.dcourts.gov.in> एवं राजस्थान सरकार राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> पर देख सकते हैं।

NDB - MET2627A0002

UBN - MET2627GLOB00002

EPROC - 2026 - RAJHC - 580813 - 1

अध्यक्ष
कय सौचित
(विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति
अत्याचार निवारण प्रकरण)
जयपुर महानगर-I

ay

परिशिष्ट "क"

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I
(निविदा प्रपत्र-क्वालीफाईंग बिड)

घोषणा

PHOTO

निविदा सूचना क्रमांक:-

दिनांक:-

(I) के लिए निविदा

(खाली स्थान में उस कार्य का नाम लिखें, जिसके लिए निविदा दी गई है)

(II) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.....
का नाम व डाक का पूर्ण पता:-
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल साहित:-.....
.....

(III) निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है:- जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम

(IV) सन्दर्भ:- निविदा सूचना संख्या:-..... दिनांक
जो.....(जरिए) दिनांक.....में प्रकाशित हुई है।

(V) निविदा शुल्क:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के नाम से राशि रुपये
500/- बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक द्वारा
जमा करा दी गई है।

(VI) प्रोसेसिंग फीस:-राशि रुपये 500 डीडी नं0.....दिनांक.....
संलग्न कर दी है। (MD RISL, JAIPUR के नाम बनवाकर संलग्न करें)

(VII) अमानत शुल्क :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के नाम से राशि
रुपये डीडी नं0.....दिनांक..... जमा करा दी है।

(VIII) हम निविदा सूचना संख्या.....दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा
विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
परिशिष्ट "स" के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप
हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न है।

(IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने की तिथि से
90 दिन तक विधि मान्य है।

(X) हमारा जीएसटी पंजियन संख्या..... है।

(XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित
प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।

88

(XII) हम सम्पुष्टि करते है कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त करने योग्य है।
आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Date of issue/ Validity
1-	Whether tender fee document is submitted with e-tender. Provide details Banker Cheque/DD no..... dt.....		
2-	Whether EMD document submitted with e-tender. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount.....		
3-	Whether agreed with all tender conditions		
4-	Whether Processing Fee.. with e-tender. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount.....		
5-	Whether annexure- D have been downloaded, signed and submitted with e-tender		
6-	Whether G.S.T. registration certificate is submitted with e- tender		
7-	If bidder has an authorised representative based in jaipur, name address and contact number should be submitted with e-tender		
8-	Bankers certificate regarding running bank account, if bidder has submitted tender for the first time		
9-	Whether Turn-Over certificate submitted with E-tender		
10-	Whether Work experience certificate submitted with E- tender		

(XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

(XIV) हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई-निविदा में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

(XV) अधिकृत विक्रेता होने के प्रमाण पत्र संलग्न है।

(XVI) प्रिन्टर का Brochure सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

ay

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय:-जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-I

निविदा प्रपत्र प्राईज बिड

1. जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र के जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्रिन्टर क्रय करने हेतु निविदा
2. निविदादाता का नाम.....
3. पत्राचार का पता.....
4. निविदा प्राप्तकर्ता जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम
5. निविदा शुल्क राशि 500/- नगद रसीद/डीडी संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करवाई जा चुकी है।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम द्वारा जारी की गई निविदा सूचना.....दिनांक एवं निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्त जो निविदा के साथ संलग्न हैं उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
7. निम्नलिखित प्रिन्टर क्रय की दरें निम्न प्रकार होगी।

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	दर प्रति प्रिन्टर (समस्त कर सहित)	कुल राशि (समस्त कर सहित शब्दों में)
1.	Single Function Printer (As per Specification) Annuxure-A	BOQ में अंकित करें।	BOQ में अंकित करें।

नोट- दरें विभागीय BOQ में अंकित करनी है।

8. उक्त दरें 31.03.2027 तक मान्य होगी।
9. अमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या..... दिनांक..... राशि..... बैंक पर आहरित है। जी.एस.टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम
एवं फर्म की मोहर

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-I**निविदा की सामान्य शर्तें**

बिड प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निविदादाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का आवश्यक रूप से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। इनके प्रावधान उपापन प्रक्रिया में यथा स्थान लागू होंगे। सा.वि. एवं लेखा नियम एवं बिड के विषय से सम्बन्धित अन्य समस्त नियम एवं प्रावधान भी यथा स्थान लागू माने जायेंगे।

1. बोलियां द्वि-भाग पद्धति-तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के आधार पर आमंत्रित हैं।
2. बिड प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन जमा करानी होगी।
3. बिड प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 01.08.2026 (05.00 PM) से 12.08.2026 (11.00 AM) तक डाउनलोड किये जा सकते हैं।
4. ऑनलाइन बिड इसी वेबसाइट पर इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 12.08.2026 (01.00 PM) तक अपलोड करायी जा सकती हैं तथा कार्यालय में दिनांक 12.08.2026 (03.00 PM) तक मय सभी दस्तावेज जमा कराई जा सकती है। (ई-निविदा की प्रति)
5. निविदादाता अपनी दरें **BOQ.XLS** प्रपत्र (वित्तीय निविदा) में ही प्रस्तुत करें।
6. एक निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा/बिड प्रस्तुत करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
7. प्रस्तुत की जाने वाली दरें तार्किक एवं संतुलित होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त करने का अधिकार जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम के पास सुरक्षित रहेगा।
8. ऑनलाइन तकनीकी बिड इस कार्यालय में दिनांक 12.08.2026 को सांय (04.30 PM) बजे खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो तकनीकी बिड उसके अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जायेंगी।
9. यदि बोली खोलने की तिथि को किसी तकनीकी कारणवश ऑनलाइन से प्राप्त समस्त बिड्स नहीं खोली जाती हैं, तो तकनीकी बिड्स खोलने का कार्य अगले कार्य दिवस को अनवरत रखा जायेगा।
10. तकनीकी आकलन में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से दे दी जायेगी।
11. ई-निविदा की सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम की वेबसाइट jaipurmetro1.dcourts.gov.in पर भी देखी जा सकती है। अपरिहार्य परिस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम के कार्यालय में कार्यालय समय में ई-निविदा का अवलोकन किया जा सकता है।
12. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु मूल डी.डी./बैंकर्स चैक तथा तकनीकी बिड प्रपत्र मय संलग्न दस्तावेजों की एक स्पष्ट प्रति प्रिन्ट कर कार्यालय के स्टोर शाखा, कमरा नंबर 103, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम में भौतिक रूप में **(Physically)** दिनांक 12.08.2026 को अपराहन (01.00 PM) तक बन्द लिफाफे में प्रिन्टर कय हेतु बिड के मूल डी.डी./बैंकर्स चैक" तथा बोलीदाता का नाम व पता स्पष्ट अंकित किया हुआ हो, जमा करवाना आवश्यक है। यदि निविदादाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे निविदा में उसका उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्रपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी, अन्यथा उक्त निविदा को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।

13. बोलीदाताओं द्वारा मूल डी.डी./बैंकर्स चैक कार्यालय में निर्धारित समय तक जमा करवाये जायेंगे उन्हीं बोलीदाताओं की बिड्स ऑनलाइन खोली जायेंगी। शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है:-
01. बोली प्रपत्र शुल्क 500/- डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर प्रथम के नाम
02. बिड प्रतिभूति 48960/- डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम के नाम
03. ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क 500/- डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक, MD RISL JAIPUR (Payable at Jaipur) के नाम
13. प्रदत्त दरें बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेंगी। यदि बोलीकर्ता उस अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है तो उस स्थिति में बिड प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।
14. निविदादाता द्वारा निविदा निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा एवं एक कॉपी प्रिन्ट करके कार्यालय में निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि के साथ जमा करवानी होगी। उक्त के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
15. तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:-
- (i) तकनीकी बोली प्रपत्र 'क' मय समस्त अनुलग्नक (अपूर्ण/कटे-फटे भरे हुये टेण्डर-प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं निरस्त कर दिये जायेंगे।)
- (ii) बोली प्रपत्र शुल्क/बिड प्रतिभूति/ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के बैंकर्स चैक/डी.डी. की 'स्केन' की हुई प्रति। वित्तीय बिड (BOQ) की प्रति संलग्न नहीं करनी है। वित्तीय बिड को तकनीकी बिड में शामिल करने पर निविदादाता की निविदा बोली निरस्त कर दी जाएगी। दरें केवल वित्तीय बिड (BOQ) में प्रस्तुत की जाएं जो ऑनलाईन BOQ में भरी जाएं। दरें केवल भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत की जाएं।
- (iii) क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट/ISO आदि प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) एवं जारी करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता, पद फोन नं. और ई-मेल, कोई अन्य दस्तावेज।
- (iv) जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति एवं मार्च 2026 में प्रस्तुत स्वयं प्रमाणित रिटर्न की प्रति।
- (v) निविदादाता संस्था के आयकर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- (vi) फर्म द्वारा गत पाँच वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26) में से किन्हीं तीन वर्षों (औसत) का कार्य अनुभव 10 लाख रु. से कम नहीं होगा (इस हेतु कार्यादेश/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रतियां संलग्न करें)
- (vii) बोली प्रदाता फर्म का गत तीन वित्तीय वर्ष (2023-24, 2024-25, 2025-26) का औसत टर्नओवर 15 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए (तत्सम्बंधी कार्यादेश की प्रतियां एवं अंकक्षित वार्षिक लेखों (Audited Balance Sheets & P&L Accounts) की प्रतियां संलग्न करें। यदि फर्म के वार्षिक लेख नहीं बनते हैं तो सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) से सत्यापित टर्नओवर स्टेटमेंट शामिल करें।)
16. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र में या अन्य किसी दस्तावेज में त्रुटि/मिथ्या कथन (सारवान) पाये जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकार जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम को होगा।
17. समिति द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर बोलीदाता का तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी रूप से सफल/योग्य घोषित किये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली ऑनलाइन खोली जायेगी। फर्म/संस्था को योग्य/अयोग्य घोषित करने के सम्बन्ध में तकनीकी मूल्यांकन समिति/क्रय समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
18. वित्तीय निविदा के लिए, निविदादाताओं को निविदा के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BOQ.XLS फाईल को डाउनलोड करना होगा और उक्त टेम्पलेट में बिना कोई संशोधन किए वांछित Cell में अपनी दरें प्रस्तुत करनी होंगी। अगर निविदादाता द्वारा डाउनलोड की गई फाईल में कोई संशोधन करके या छेड़छाड़ करके उस फाईल को अपलोड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदादाता फर्म को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। वित्तीय मूल्यांकन (Financial evaluation) के लिए मजदूरी, पीएफ, ईएसआई सहित Material cost, machinery/equipment charges/Rent and administrative/service charges को भी सम्मिलित करते हुए सभी तरह के समस्त लागत (Total overall cost) के

- आधार पर विचार किया जाएगा जिसमें सभी तरह के अन्य कर (other taxes and duties) एवं प्रतिदाय शामिल होंगे परन्तु वस्तु एवं सेवा कर (GST) को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
19. बोलीदाता द्वारा वित्तीय प्रपत्र में प्रस्तुत बोली राशि के औचित्य एवं विगत सम्बन्धी जानकारी मांगी जाने पर बोलीदाता को आइटमवार विवरण प्रस्तुत करना होगा।
 20. फर्म द्वारा BOQ में भरी गयीं दरें न्यूनतम होने के पश्चात् भी फर्म की निविदा स्वीकार कर कार्यादेश जारी करना जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
 21. दो या अधिक निविदादाता की दरों में बराबरी (Tie in Prices) की स्थिति में जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम ऐसे निविदादाताओं से वार्ता (Negotiation) उपरान्त अन्तिम निर्णय लेंगे।
 22. ई-टेन्डरिंग के लिए बोलीदाताओं हेतु निर्देश एवं शर्तें—
 - (i) बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इण्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीयन (Registration) करना होगा।
 - (ii) बोलीदाताओं को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर हस्ताक्षर मय सील के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
 - (iii) इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की 'स्केन' की हुई प्रतियां बिड प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन संलग्न कर दी गयी हैं।
 - (iv) कोई भी बोलीदाता द्वारा यदि, बिड को इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम की नहीं होगी।
 - (v) बोलीदाता को बिड के सभी प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों/संलग्नकों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
 - (vi) ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करते समय बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः बोलीदाता उचित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां प्रस्तुत करें।
 - (vii) टेलीग्राम/फेक्स/ई-मेल, सोसियल साइट व अन्य या केवल भौतिक रूप से प्रस्तुत की गई बिड मान्य नहीं होगी।
 - (viii) सशर्त बिड मान्य नहीं होगी। बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों एवं विवरण से भिन्नता (डेवीएशन)वाली बिड मान्य नहीं होगी।
 23. टेण्डर निर्धारित प्रपत्र में जो कि विभाग से जारी किया गया हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
 24. टेण्डर के सभी प्रपत्र एवं अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
 25. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर अनिवार्य है।
 26. निविदा दिनांक 12.08.2026 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष सांय 04.30 बजे तकनीकी बिड खोली जावेगी।
 27. विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत की जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार का संशोधन के साथ दी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 28. निविदा देने वाली फर्म द्वारा निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 - (1) यदि फर्म एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूरा नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता एवं टेलीफोन नम्बर।
 - (2) यदि फर्म भागीदारी का है तो भागीदारी-विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्णन।
 29. आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई गत वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

30. आपूर्ति करने वाले प्रिन्टर की कंपनी का अधिकृत विक्रेता होना आवश्यक है। इस में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
31. अमानत राशि केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/चालान के रूप में स्वीकार होगी जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर-प्रथम के पक्ष में देय होगी। चैक या अन्य प्रकार से अमानत राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना अमानत राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। एस एस आई यूनिटो/रूग्ण ईकाईयो को नियमानुसार निर्धारित सीमा तक छूट देय होगी।
32. निम्न परिस्थितियों में अर्नेस्ट मनी को जप्त कर लिया जावेगा—
(1) जब निविदादाता टेण्डर खुलने के पश्चात किन्तु स्वीकृति से पहले टेण्डर से पीछे हटता है अथवा टेण्डर में कोई संशोधन करता है।
(2) जब निविदादाता द्वारा निर्धारित समय में अनुबन्ध सम्पादित नहीं किया जाता है।
(3) जब निविदादाता द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात निर्धारित समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई जाती है।
33. निविदा फर्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
34. निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में विभाग द्वारा दिये गये समय में करार निष्पादित करना होगा।
35. निविदा स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबन्ध की पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की स्थिति में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
36. निविदादाता निविदा स्वीकृति होने पर कार्य के सम्पूर्ण भाग/हिस्से को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो अनुबन्ध बिना किसी नोटिस के समाप्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।
37. राज्य सरकार अर्नेस्ट मनी/प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं करेगी। प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में संविदा अवधि के लिए राज्य सरकार के नाम एन्डोर्समेन्ट होगा, स्वीकार की जा सकेगी।
38. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया अनियमित भुगतान वसूली निकाली जाती है तो वह उसके द्वारा भुगतान की जावेगी। भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार फर्म से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
39. अर्नेस्ट मनी— इस निविदा के साथ प्रत्येक निविदादाता को निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी। इस हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम के पक्ष में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अनुबन्ध की कुल राशि की पांच प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। अर्नेस्ट मनी उस अवसर पर इस प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी। असफल रहने वाले निविदादाताओं को अर्नेस्ट मनी निविदा पर निर्णय होने के एक माह में वापस कर दी जावेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
40. अनुबन्ध— सफल निविदादाताओं को एक सप्ताह में नियमानुसार निर्धारित मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I के साथ एक अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। अनुबन्ध समय पर न होने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जावेगी।
41. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

42. समस्त अधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम के पास सुरक्षित होंगे।
43. किसी भी कानूनी विवाद के लिये जयपुर स्थित कार्यालयों/न्यायालयों में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
44. कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर भुगतान में कटौती कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये कोई लिखित नोटिस/सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।
45. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश के अनुसार निविदा शर्तों में परिवर्तन का समस्त अधिकार उपापन संस्था होंगी।
46. कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय करार रद्द करते हुये राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
47. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
48. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं को निरस्त समझा जायेगा तथा इन निविदाओं को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा। इस बाबत क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
49. तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय निविदा पर ही विचार किया जावेगा।
50. वित्तीय निविदा दरों में समस्त चुंगी/कर/किराया-भाड़ा या अन्य कोई राशि जो भुगतान योग्य है, को जोड़कर एफ.ओ.आर. दरें ही दी जायेगी।
51. सफल निविदादाता द्वारा सामान की आपूर्ति जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम की न्यू बिल्डिंग में स्थित भण्डार शाखा में करनी होगी।
52. सफल निविदादाता/दाताओं को सप्लाई आदेश की राशि की निर्धारित 5 प्रतिशत राशि RTTP ACT के नियमानुसार कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में सात दिवस में जमा करवानी होगी, जिसमें अमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा। एस. एस. आई. ईकाइयों/रूग्ण ईकाइयों को नियमानुसार सीमा तक छूट देय होगी।
53. सफल निविदादाता फर्म/फर्मों को सूचित किये जाने पर 500/-रूपये/निमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर सात दिवस में एक अनुबन्ध पत्र का निष्पादन स्वयं के खर्चे पर संपादित करना होगा।
54. फर्म को जारी सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में एक साथ ही पूर्ण माल सप्लाई करना होगा।
55. निविदा के तहत प्रिण्टर के नमूने स्वयं की लागत पर निरीक्षण हेतु सूचित किये जाने पर नियत समय में क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। संबंधित फर्मों के नमूनों का क्रय समिति द्वारा निरीक्षण किये जाने के पश्चात् सामग्री गुणवत्तापूर्ण होने पर क्रय समिति द्वारा दरों का अनुमोदन आर0 टी0 पी0 पी0 अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार किया जा सकेगा।
56. आपूर्ति आदेश के तहत प्राप्त सामान सही, नमूनानुसार एवं निविदा मापदण्डों के अनुसार होने पर फर्म को नियमानुसार भुगतान कर दिया जावेगा।
57. आपूर्ति की जा रही सामग्री निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी सामग्री को आपूर्तिकर्ता की जोखिम पर रद्द कर दिया जायेगा, जिसे आपूर्तिकर्ता अपने खर्चे पर बदल कर आपूर्ति करेगा एवं रद्द की गई सामग्री वापस प्राप्त करेगा।

58. आपूर्तिकर्ता फर्म के सप्लाई किए जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

59. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय सील करने होंगे तथा आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

60. आन्तरिक व बाह्य लिफाफे पर:—

बोली लगाने वाले का नाम और पूर्ण पता और दूरभाष नं०, उपापन संस्था का पूर्ण पता, निविदा सं०, दिनांक व कार्य का नाम तथा तकनीकी बिड़/प्राईस बिड़ अंकित करनी होगी।

61. सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर बोली प्रतिभूति राशि बोलीदाताओं को शीघ्र ही लौटा दी जावेगी।

63. **बोली प्रतिभूति का सम्पहरण (Forfeiture of Bid security)**

बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में सम्पहरण किया जा सकेगा:—

क— जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

ख— जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

ग— जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

घ— यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

64. **करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-**

अ— बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक “जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम” के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (न्यूनतम 500/-रु०) के बराबर राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 07 दिवस में सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

ब— सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

स- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

65. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का सम्पहरण (**Forfeiture of work performance Security Deposit**) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलो में सम्पहरण किया जा सकेगा

क- जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ख- जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

ग- जब बोलीदाता सामग्री सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के सम्पहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

66. भुगतान:-

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

67. परिनिर्धारित क्षति (**Liquidate Damage**):- परिनिर्धारित क्षति के साथ सामग्री सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5 प्रतिशत

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए - 5 प्रतिशत

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए - 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए -10 प्रतिशत

(ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण सामग्री की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

68. निविदादाता सम्बन्धित कंपनी का अधिकृत विक्रेता होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

50/-रु0 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प

घोषणा पत्र

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम के लिये प्रिण्टर आपूर्ति निविदा आमंत्रित सूचना की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य/आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित सामग्री उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट, डिफाल्टर या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। दी गई दरें क्रेता अधिकारी के कार्यालय तक पहुँचाने की है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिड को रद्द किया जा सकेगा।

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन वस्तुएँ/स्टोर्स/उपकरणों के लिये निविदा की है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/होल वितरक/प्राधिकृत डीलर/होल सेलर/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि मुझ/हम पर की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपृहत कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक :-

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

निविदादाता का नाम :-.....

पूर्ण पता :-

मो0 नं0

AM

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-1
निविदादाताओं द्वारा घोषणा

परिशिष्ट "ड" (प्रथम)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट अ, ब एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगां/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन नं.—

परिशिष्ट "ड" (द्वितीय)

शपथ पत्र

मैं—

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन नं.—